

न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क्रमांक पूर्व में 146/10

एवं वर्तमान में 17/2017

संस्थित दिनांक-05.03.2010

फाईलिंग क्रमांक-141/2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1-अघन उर्फ हरेन्द्रसिंह पिता सोनूलाल, उम्र-35 वर्ष,

निवासी-ग्राम बघोली, थाना परसवाड़ा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-लेखराम उर्फ लंगड़ा पिता गूहालाल तेली, उम्र-30 वर्ष, (पूर्व निर्णित)

निवासी-वार्ड नंबर-4 मोहगांव,

थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट म.प्र.

3-सुदनलाल पिता झाड़ूराम अहीर, उम्र-35 वर्ष, (पूर्व निर्णित)

निवासी-ग्राम कोलियाटोला मोहगांव,

थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट म.प्र.

4-बुधराम पिता छन्नूलाल अहीर, उम्र-22 वर्ष, (पूर्व निर्णित)

निवासी-ग्राम कोलियाटोला मोहगांव,

थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट म.प्र.

- - - - - आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-03/02/2017 को घोषित)

1- आरोपी अघन सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 457, 411/34 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.01.2010 से 19.01.2010 को शाम 18:00 बजे से सुबह 11:00 बजे के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल के कमरों से जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, के कब्जे से एक राय होकर 10 दरवाजों के पल्ले, बिजली के तार व स्वीच बोर्ड कीमती करीब 10,000/-रुपये (दस हजार रुपये) को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की, उक्त संपत्ति को जो चुराई हुई संपत्ति थी, यह जानते हुए वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से रखा।

2- आरोपी लेखराम, सुदनलाल, बुधराम के विषय में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। आरोपी अघन उर्फ हरेन्द्र के फरार होने की स्थिति में आरोपी अघन उर्फ हरेन्द्र के विषय में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

3— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संजीतसिंह ने दिनांक-19.01.2010 को पुलिस थाना मलाजखण्ड आकर एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव में अध्यापक वर्ग-2 के पद पर पदस्थ है। हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पीछे नवनिर्मित शाला भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें शाला नहीं लगती है, जिसके सभी कमरों में दरवाजे लगे हुए थे। दिनांक-18.01.2010 एवं दिनांक-19.01.2010 की मध्य रात्रि किसी अज्ञात चोर द्वारा नवनिर्मित हायर सेकेण्ड्री स्कूल मोहगांव में लगे लकड़ी के दरवाजे के पल्ले एवं बिजली फिटिंग के तार, स्वीच बोर्ड कीमती करीब 10,000/—(दस हजार रुपये) चोरी कर ले गए हैं। फरियादी की उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक-9/2010, अंतर्गत धारा-380 भा.दं. वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर चोरी गई संपत्ति जप्त की गई एवं भा.दं.सं की धारा-411/34 का ईजाफा किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 457, 411/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी अघन ने दिनांक-18.01.2010 से 19.01.2010 को शाम 18:00 बजे से सुबह 11:00 बजे के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के कमरों से जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, के कब्जे से एक राय होकर 10 दरवाजों के पल्ले, बिजली के तार व स्वीच बोर्ड कीमती करीब 10,000/—रुपये (दस हजार रुपये) को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?
2. क्या आरोपी अघन ने उक्त संपत्ति को जो चुराई हुई संपत्ति थी, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से रखा ?
3. क्या आरोपी अघन द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया गया ?

विचारणीय बिन्दु क मांक-1 व 2, 3 का निष्कर्ष :-

6- सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संजीतसिंह अ.सा.2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता और उन्हें देखकर भी नहीं पहचान सकता। घटना उसके बयान देने के लगभग 6 माह पूर्व की है। नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल मोहगांव से 10 दरवाजे चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना के संबंध में थाना मलाजखण्ड लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष ठेकेदार मनोज तिवारी से खरीदी की रसीद जप्त नहीं की गई थी। उसने पुलिसवालों के कहने पर उक्त दस्तावेजों में हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उक्त मौकानक्शा श्रीमती नूतनगर्ग की निशानदेही पर बनाया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 में थाने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के समय भवन ठेकेदार के आधिपत्य में था और ठेकेदार के कर्मचारी सामान को इधर से उधर करते रहते थे।

8- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी भागचंद झारिया अ.सा.7 ने कहा है कि वह दिनांक-19.01.2010 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने संजीतसिंह के लिखित आवेदन प्रदर्श पी-2 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल पर जाकर संजीतसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी संजीतसिंह साक्षी नूतन गर्ग के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने आरोपी लेखराम के बताए अनुसार मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-10 लेख किया था, जिसमें 4 नग पल्ला 3,000/-रुपये में सुदनलाल को एवं 6 नग दरवाजे के पल्ले आरोपी बुधराम को 3,000/-रुपये में बेचना बताया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी बुधराम से 6 नग लकड़ी के पल्ले तथा आरोपी सुदनलाल से 4 नग दरवाजे के पल्ले जिनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव लिखा हुआ था प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 अनुसार जप्त किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी अघनलाल का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-11 उसके बताए अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने लोहे की रॉड को बहन फूलवती के घर की परछी से निकालकर दिया था, जिसके स से स भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी अघनलाल से एक नग लोहे की रॉड जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 अनुसार जप्त किया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मनोज तिवारी से दरवाजा खरीदने की रसीद की छायाप्रति जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त की थी, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो प्रकरण में संलग्न है। उसने आरोपी लेखराम उर्फ लंगड़ा, सुदनलाल, बुधराम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-07.02.2010 को आरोपी अघन लाल को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि ठेकेदार ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने ठेकेदार मनोज तिवारी से चोरी गए माल की असल रसीद जप्त नहीं की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपी अघन का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-11 उसके बताए अनुसार लेख नहीं किया था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी अघन को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 अनुसार गिरफ्तार नहीं किया था और न ही आरोपी से कोई सामान की जप्ती की थी।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी श्रीमती नूतन गर्ग अ.सा.1 का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानती। वह दिनांक-19.01.10 को हायर सेकेण्ड्री स्कूल मोहगांव में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थी। स्कूल के पीछे नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल बना है, जिसमें मनोज तिवारी ठेकेदार द्वारा काम करवाया जा रहा था। स्कूल में 16 दरवाजे लगे थे, जिसमें 10 दरवाजे चोरी हो गए थे। दिनांक-18.01.10 को जब स्कूल पहुंचे तब चपरासी गौतम दुलीराम ने बताया था कि स्कूल में चोरी हो गई है, वहां पर जाने पर उसने देखा कि 10 दरवाजे और बिजली का सामान किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। उसने स्कूल के शिक्षक संजीतसिंह को उक्त घटना की रिपोर्ट करने के लिए भेजा था।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रंगीलाल अ.सा.3, मनोज कुमार अ.सा. 4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपीगण को जानते हैं। उनके समक्ष आरोपी लेखराम ने पुलिस को मेमोरेण्डम कथन नहीं दिया था। उनके सामने पुलिस ने आरोपी बुधराम व सुदनलाल से कोई जप्ती नहीं की थी। उनके सामने पुलिस ने आरोपी लेखराम, सुदनलाल, बुधराम को गिरफ्तार नहीं किया था। उपरोक्त अभियोजन अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को आरोपी अघन के विषय में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी इन्द्रपाल अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। वह आरोपी अघन उर्फ हरेन्द्र को नहीं जानता। आरोपी अघन लाल ने उसके समक्ष पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-11 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी अघन लाल से पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी अघन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारीपत्रक प्रदर्श पी-13 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी अघन ने पुलिस को यह बताया था कि उसने अपनी बहन फूलवती के घर लोहे की रॉड छुपाकर रखी थी और आरोपी के द्वारा निकालकर देने पर पुलिस द्वारा वह रॉड जप्त की गई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने कहा है कि पुलिस ने रास्ते पर उसके प्रदर्श पी-11, 12 एवं 13 पर हस्ताक्षर करवा लिये थे।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी भीवराम अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसके सामने आरोपी अघन लाल ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-11 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी अघन लाल से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 तथा आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी अघन ने पुलिस को यह बताया था कि उसने अपनी बहन फूलवती के घर लोहे की रॉड छुपाकर रखी थी और आरोपी के द्वारा निकालकर देने पर पुलिस द्वारा वह रॉड जप्त की गई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी दिनेश साहू अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-16.02.2010 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव में व्याख्याता के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को स्कूल से 10 दरवाजे चोरी हो गए थे, जो बाद में मिले थे। इसके अतिरिक्त उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिसवाले उसके मोहल्ले में आए थे, तब उन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने मनोज तिवारी से दरवाजा खरीदने की रसीद जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

14— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 411 का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अघन ने दिनांक-18.01.2010 से दिनांक-19.01.2010 की रात्रि में हायर सकेण्ड्री स्कूल के कमरों के दरवाजे के

पल्ले, बिजली के तार, स्वीच बोर्ड सह आरोपीगण के साथ चोरी किये थे। अभियोजन कहानी अनुसार आरोपी अघन ने प्रदर्श पी-11 का मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था, यह मेमोरेण्डम कथन स्वतंत्र साक्षी इन्द्रपालसिंह अ.सा.5 तथा भीवराम अ.सा.6 के समक्ष लेख किया गया था। विवेचना अधिकारी द्वारा लिये गए मेमोरेण्डम की कार्यवाही का समर्थन उपरोक्त स्वतंत्र साक्षियों ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मेमोरेण्डम कथन लेख किये जाने का समय 11:00 बजे प्रदर्श पी-11 पर लेख है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के विषय में प्रस्तुत गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-13 पर समय 11:45 लेख है। विधि अनुसार पुलिस की अभिरक्षा में ही मेमोरेण्डम कथन लेख किया जाना चाहिए, इसलिए मेमोरेण्डम कथन विधि की मंशा के अनुरूप नहीं है और यह स्वतंत्र साक्षियों से समर्थित न होने से प्रमाणित भी नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त आरोपी अघन के आधिपत्य से विवेचना अधिकारी ने एक लोहे की रॉड जप्त करना बताया है और जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-12 की कार्यवाही किया जाना कहा है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा उनके समक्ष आरोपी अघन से लोहे की रॉड की जप्ती की जाना तथा आरोपी की गिरफ्तारी की जाना न्यायालयीन परीक्षण में अस्वीकार किया गया है। सारतः जब तक चोरी गई संपत्ति आरोपी के आधिपत्य से जप्त न की गई हो अथवा वह जप्ती साक्ष्य में प्रमाणित न कर दी गई हो, तब तक आरोपी द्वारा बेईमानी के आशय से संपत्ति के स्वामी के आधिपत्य से हटाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। आरोपी अघन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380 अथवा 411 का अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। यह संपत्ति दिनांक-18.01.10 से 19.01.10 को करीब 18:00 बजे शाम से 11:00 बजे सुबह के दरमियान ग्राम मोहगांव थानांतर्गत मलाजखण्ड में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के कमरों से चोरी किया जाना बताया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी साक्षी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि आरोपी द्वारा उपरोक्त स्थान पर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया जाकर चोरी की गई हो। ऐसी स्थिति में आरोपी अघन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-380, 457, 411/34 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

15- प्रकरण में आरोपी अघन की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

16- प्रकरण में आरोपी अघन दिनांक-07.02.10 से दिनांक-17.02.10 तक, दिनांक-16.06.2016 से दिनांक-22.08.16 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा 10 नग दरवाजे के पल्ले सुपुर्ददार संजीतसिंह पिता गिडियनसिंह, जाति परधान, निवासी ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किये गये हैं, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे एवं जप्तशुदा लोहे की राड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित
किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)